



Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No.42-2017/Ext.] CHANDIGARH, TUESDAY, MARCH 7, 2017 (PHALGUNA 16, 1938 SAKA)

HARYANA VIDHAN SABHA SECRETARIAT

Notification

The 7th March, 2017

No.11-HLA of 2017/13.—The Haryana Road Infrastructure Protection Bill, 2017 is hereby published for general information under proviso to Rule 128 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly :-

Bill No. 11- HLA of 2017

THE HARYANA ROAD INFRASTRUCTURE PROTECTION BILL, 2017

A

BILL

to provide for prevention of misuse, damage, unauthorized use and encroachment of the road infrastructure in the State and for matters connected therewith or incidental thereto.

Be it enacted by the Legislature of the State of Haryana in the Sixty-eighth Year of the Republic of India as follows:-

1. This Act may be called the Haryana Road Infrastructure Protection Act, 2017. Short title.
2. (1) In this Act, unless the context otherwise requires,- Definitions.
 - (a) “appellate authority” means the Superintending Engineer of the Haryana Public Works (Buildings and Roads) Department;
 - (b) “building” means a house, hut, shed or other roofed structure, for whatever purpose or of whatsoever material constructed and shall include a wall, masonry platform, masonry ditch or drain;
 - (c) “competent authority” means the Sub-Divisional Engineer of the Haryana Public Works (Buildings and Roads) Department;

- (d) “confirmatory authority” means the Executive Engineer of the Haryana Public Works (Buildings and Roads) Department;
- (e) “Government” means the Government of the State of Haryana in the Administrative Department;
- (f) “local authority” means Gram Panchayat, Municipality, Municipal Corporation and includes development authorities like Haryana Urban Development Authority, Haryana State Industrial and Infrastructure Development Corporation, Haryana State Roads and Bridges Development Corporation, Haryana State Agricultural Marketing Board etc;
- (g) “prescribed” means prescribed by the rules made under this Act;
- (h) “road” means a road maintained by the Government or any local authority but shall not include National Highways declared under the National Highways Act, 1956 (Central Act 48 of 1956);
- (i) “road infrastructure” means State highways, major district roads, other district roads, any other road, path or street for transport or communication but shall not include National Highways declared under the National Highways Act, 1956 (Central Act 48 of 1956) and shall include,-
 - (i) acquired road land width;
 - (ii) all types of roads and their structures, such as road pavements, shoulders, retaining walls, breast walls, toe walls, cross-drainage, kerb, road side drains, road junctions, medians, speed breakers, rumble strips, street lighting, traffic lights etc;
 - (iii) any structure ancillary to road transport and communication system;
 - (iv) bridges including approaches, return walls, wing walls, protection works and allied structures;
 - (v) expressways including interchanges, grade separators, dividers and other ancillary structures;
 - (vi) road furniture such as parapets, railings, kerb stones, kilometer stones, benches, cat eyes, reflectors, pedestals, signboards, barricades and crash barriers;
 - (vii) road over bridges, flyovers and under passes and their allied structures;
 - (viii) roadside parking area;
 - (ix) roadside plantations, nurseries, hedges and other landscape items;
 - (x) toll booths or plaza;
 - (xi) tunnels and ancillary structures;
 - (xii) wayside amenities or structures such as rain shelters, lay byes, bus lanes, public conveniences, parks and open spaces located on Government land along the road.

(2) Words and expressions used in this Act but not defined and defined in the PWD Code shall have same meaning as assigned to them respectively in the said code.

3. The followings shall be the prohibited activities under this Act, namely:-

- (i) to encroach upon the Government land under road infrastructure;
- (ii) to raise any permanent, temporary or movable structure on or from road infrastructure;
- (iii) to misuse a road by erecting workshop and carrying out commercial activities including tethering of livestock on road infrastructure;
- (iv) to block or damage roadside drainage and cross drainage system;
- (v) to divert water, sullage or muck to the road infrastructure;
- (vi) to stack or throw excavated earth or debris or any other material on road infrastructure;
- (vii) to dig or damage road infrastructure without permission from competent authority;
- (viii) to install unauthorized hand pump, bore well or petrol pump on road infrastructure;

Prohibited activities.

- (ix) to damage or deface bridges, road over bridges, flyovers and under-passes including approaches, return walls and wing walls, parapets, railings, lighting system, protection works, tunnels and their ancillary structures and other structures such as road pavements, shoulders, retaining walls, breast walls, toe walls, cross-drainage and roadside drains, road junctions, medians, speed-breakers, rumble strips, street lighting, traffic lights, barricades, crash barriers, sign boards, kilometer stones, reference pillars, boundary pillars, row pillars, road identification marked infrastructure, pedestals, benches, toll booths or plaza, way side amenities such as rain shelters, lay byes, bus lanes, public conveniences, parks and open spaces along the road and building or any other structure meant for facilitating road transportation and maintenance of roads;
- (x) to damage or uproot roadside plantation, nurseries, hedges and other landscape items on the road infrastructure;
- (xi) to display unauthorized hoardings on road infrastructure;
- (xii) to erect unauthorized welcome gates, arches etc on the road infrastructure;
- (xiii) to damage road infrastructure due to mining in the area;
- (xiv) to erect or construct any structure on the road infrastructure;
- (xv) to erect or construct a place of worship on the road infrastructure.
- (xvi) any other activity which is declared by the Government, by notification in the Official Gazette, to be prohibited activity.

4. All prohibited activities shall be determined with reference to the land records maintained by the Revenue and Disaster Management Department.

Determination of prohibited activities.

5. (1) On occurrence of any activity prohibited under section 3, the competent authority shall issue an order directing the person to stop forthwith the prohibited activity and where necessary, order the restoration of status of the road infrastructure to its original position within such period, as may be specified in the order and such period shall not exceed three days.

Duties of competent authority.

(2) An order of the competent authority under sub-section (1) shall clearly describe in writing the prohibited activity and also indicate by way of sketch, the location of the occurrence of prohibited activity, extent of such activity and the damage already caused or being caused.

(3) In the event of failure to comply with the orders passed under sub-section (1), the competent authority shall take necessary steps to restore the status at the cost of the person, in addition to the penalty which may extend to five thousand rupees. The expenditure so incurred shall be liable to be recovered as arrears of land revenue and the competent authority shall confiscate the material, machinery, tools, equipments etc. forming part of the prohibited activity in such manner, as may be prescribed.

(4) Notwithstanding anything contained in this section, the competent authority or the officer authorized by him in this behalf shall have power under this section to remove the unauthorized occupation on the road without issuing any notice, if such unauthorized occupation is in the nature of-

- (a) exposing any goods or article in open air or through temporary stall, kiosk, booth or shop of temporary nature;
- (b) construction or erection, whether temporary or permanent; or
- (c) trespass or encroachment that may be removed easily without use of any machine or other device,

and in removing such occupation, the competent authority or such officer may seek assistance of the police, if necessary, to remove such occupation by use of the reasonable force necessary for such removal.

6. The competent authority may delegate all or any of his power and duties vested and assigned to him under this Act to Assistant Sub-Divisional Engineer or Junior Engineer, as the case may be subordinate to him.

Delegation of powers and duties of competent authority.

7. The aggrieved person may file objections against the order issued by the competent authority to the confirmatory authority within a period of three days from the date of receipt of the order and confirmatory authority shall, thereafter afford an opportunity of hearing and pass an order within a period of five days confirming or setting aside the order passed by the competent authority through a speaking and reasoned order.

Filing of objection.

- Appeal.**
- 8.** (1) An appeal against the order passed by the confirmatory authority shall be entertained by the appellate authority, if such appeal is filed within fifteen days from the passing of order by the confirmatory authority:
- Provided that an appeal may be entertained after the expiry of the period specified, if the appellant satisfies the appellate authority that he had sufficient cause for not preferring appeal within that period:
- Provided further that the appellant, while filing the appeal against such order, shall deposit the anticipated restoration cost as assessed by the competent authority.
- (2) The appellate authority shall within fifteen days of the filing of the appeal, pass an order confirming or setting aside the order passed by the confirmatory authority and the same shall be final.
- Penalties and procedure.**
- 9.** (1) Any person found guilty of an offence under this Act shall, on conviction, be punishable with imprisonment for a term which may extend to three years and shall also be liable to fine.
- (2) Where an offence under this Act has been committed by a company, every person incharge of, or responsible to, the company for the conduct of its business at the time of the commission of the offence shall be liable to be proceeded against and punished accordingly:
- Provided that nothing contained in this sub-section shall render any such person liable to any punishment if he proves that the offence was committed without his knowledge or that he exercised all due diligence to prevent the commission of such offence.
- (3) Notwithstanding anything contained in sub-section (2), where an offence under this Act has been committed by a company and it is proved that the offence has been committed with the consent or connivance of or that the commission of the offence is attributable to any neglect on the part of a director, manager, secretary or other officer of the company, such director, manager, secretary or other officer shall also be proceeded against and punished accordingly.
- Explanation.**— For the purposes of this section,-
- (a) “company” means any body corporate, and includes a firm or other association of individuals; and
- (b) “director” in relation to a firm means a partner in the firm.
- (4) The offences under this Act shall be cognizable and non-bailable and triable by the Magistrate of the first class.
- Power to seek assistance of other departments.**
- 10.** If the competent authority or the officer authorized by him in this behalf is of the opinion that assistance of police, local authority or any other department is required for carrying out the purposes of this Act, he may seek the assistance and such local authority or department, as the case may be, shall be bound to assist the competent authority.
- Powers of civil court.**
- 11.** The confirmatory authority and the competent authority for the purpose of performing any function under this Act, shall have all the powers as are vested in a civil court under the Code of Civil Procedure, 1908 (Central Act 5 of 1908), when trying a suit in respect of the following matters, namely:—
- (a) summoning and enforcing the attendance of any person and examining him on oath;
- (b) requiring the discovery and production of any document; and
- (c) any other matter which may be prescribed.
- Protection of action taken in good faith.**
- 12.** (1) No suit, prosecution or other legal proceedings shall lie against any person for anything done or intended to be done in pursuance of this Act or any rule or order made thereunder.
- (2) No suit or other legal proceedings shall lie against the Government or the competent authority for any damage caused or likely to be caused by anything which is in good faith done or intended to be done in pursuance of this Act or any rule or order made thereunder.
- Bar of jurisdiction.**
- 13.** No civil court shall have any jurisdiction to entertain or to decide any question relating to matter falling under this Act or the rules made thereunder.
- Power to make rules.**
- 14.** (1) The Government may, by notification in the Official Gazette, make rules for carrying out the purposes of this Act.
- (2) Every rule made under this Act shall be laid before the State Legislature.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

At present, to protect the National Highways from deliberate damage, the National Highway Act, 1956 exists. In order to protect the other road infrastructure in the State, presently there is no specific Act to govern the matters related thereto. Although there are some IPC provisions associated with the protection of the public property, but they are quite general and not specific.

Moreover, enforcement of such provisions relating to offences against damage to public property do not receive priority which makes their implementation even more difficult to be taken for quick and effective process to be followed. Resultantly, the cases of damage to public property go on unchecked and therefore there is a felt need to have special legal provisions to safeguard such damage. This Act takes cognizance of all the provisions, describes the structure and functions, power and authority to have a clear picture that requires or prohibits certain activities, consistent with the provisions of the constitution viz-a-viz protecting the road infrastructure.

The Act will also check fraudulent activity and unauthorized access to the roads and provides safeguards to its infrastructure. It aims to provide for the legal framework so that legal sanctity is accorded to authorities for checking all types of intrusions and unauthorized access to roads.

The objective is to develop and implement a systematic approach towards better utilization and management of road infrastructure and enhancement of security. Therefore, to reach the goal of safety, optimum utilization, better accessibility and mobility on roads, we must have clearly defined rules and regulations to be followed by competent authority to protect and enhance the road infrastructure to better serve the needs of the people.

RAO NARBIR SINGH,
Public Works (B&R) Minister, Haryana.

Chandigarh:
The 7th March, 2017.

R.K. NANDAL,
Secretary.

MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION

Clause (c) of section 11 of The Haryana Road Infrastructure Protection Bill, 2017 empowers the State Government to make rules on any other matter which may be prescribed when the confirmatory authority and the competent authority for the purpose of performing any function under this Act shall have all the powers as are vested in a Civil Court under the Code of Civil Procedure, 1908 (Central Act 5 of 1908). Section 14 (1) also empowers the State Government may by notification in the Official Gazette, make rules for carrying out the purposes of this Act. This delegation of power to the authorities is of normal character hence the Memorandum Regarding Delegated Legislation as required under Rule 126 of the Rule of the Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly is enclosed.

(प्राधिकृत अनुवाद)

2017 का विधेयक संख्या-11 एच०एल०ए०

हरियाणा सड़क अवसंरचना संरक्षण विधेयक, 2017
राज्य में सड़क अवसंरचना के दुरुपयोग, नुकसान,
अप्राधिकृत उपयोग तथा अधिक्रमण
को रोकने के लिए और उस से
संबंधित या उसके आनुषंगिक
मामलों के लिए
विधेयक

भारत गणराज्य के अड़सठवें वर्ष में हरियाणा राज्य विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

1. यह अधिनियम हरियाणा सड़क अवसंरचना संरक्षण अधिनियम, 2017, कहा जा सकता है। संक्षिप्त नाम।
2. (1) इस अधिनियम में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,— परिभाषाएं।
 - (क) "अपील प्राधिकारी" से अभिप्राय है, हरियाणा लोक निर्माण (भवन तथा सड़क) विभाग का अधीक्षण अभियन्ता ;
 - (ख) "निर्माण" से अभिप्राय है, किसी भी प्रयोजन के लिए या किसी भी सामग्री से निर्मित घर, झोपड़ी, शैड या अन्य छतवाला ढांचा और इसमें दीवार, पक्की चिनाई का प्लेटफार्म, पक्की चिनाई की खाई या नाली शामिल होगी;
 - (ग) "सक्षम प्राधिकारी" से अभिप्राय है, हरियाणा लोक निर्माण (भवन तथा सड़क) विभाग का उप मण्डल अभियन्ता ;
 - (घ) "पुष्टिकारी प्राधिकारी" से अभिप्राय है, हरियाणा लोक निर्माण (भवन तथा सड़क) विभाग का कार्यकारी अभियन्ता ;
 - (ङ) "सरकार" से अभिप्राय है, प्रशासनिक विभाग में हरियाणा राज्य की सरकार ;
 - (च) "स्थानीय प्राधिकारी" से अभिप्राय है, ग्राम पंचायत, नगरपालिका, नगर निगम और इसमें शामिल है विकास प्राधिकरण जैसे हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण, हरियाणा राज्य औद्योगिक और अवसंरचना विकास निगम, हरियाणा राज्य सड़क और पुल विकास निगम, हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड इत्यादि ;
 - (छ) "विहित" से अभिप्राय है, इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित ;
 - (ज) "सड़क" से अभिप्राय है, सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकरण द्वारा अनुरक्षित सड़क किन्तु इसमें राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का केन्द्रीय अधिनियम 48) के अधीन घोषित राष्ट्रीय राजमार्ग शामिल नहीं होंगे ;
 - (झ) "सड़क अवसंरचना" से अभिप्राय है, परिवहन या यातायात के लिए राज्य राजमार्ग, मुख्य जिला सड़क, अन्य जिला सड़क, कोई अन्य सड़क, पथ या गली किन्तु इसमें राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का केन्द्रीय अधिनियम 48) के अधीन घोषित राष्ट्रीय राजमार्ग शामिल नहीं होंगे और इसमें निम्नलिखित शामिल होंगे,—
 - (i) अर्जित सड़क भूमि विस्तार ;
 - (ii) सड़कों और उनकी संरचनाओं की सभी किस्में, जैसे सड़क पटरी, स्कन्ध, पुश्ता-दीवार, ब्रेस्ट दीवार, टो-दीवार, क्रास-निकास, किनारा, सड़क की ओर नाली, सड़क जैक्शन, मध्यम, स्पीड ब्रेकर, रम्बल स्ट्रिप, गली प्रकाश, यातायात बत्ती इत्यादि ;
 - (iii) सड़क परिवहन और यातायात प्रणाली की प्रासंगिक कोई संरचना ;
 - (iv) पहुंचमार्ग, समानान्तर दीवार, विंग दीवार, संरक्षण कार्य और सहबद्ध संरचना सहित पुल ;
 - (v) अदला-बदली, ग्रेड पृथक्कारक, विभाजक और अन्य प्रासंगिक संरचनाओं सहित एक्सप्रेसवे ;

- (vi) सड़क फर्नीचर जैसे पैरापिटस, रेलिंगज, किनारे का पत्थर, किलोमीटर पत्थर, बेंचिज, लहसुनिया, परावर्तक (रिफ्लेक्टर), पेडिस्टल, सूचनापट्ट, बैरिकेड और क्रैश बैरियर ;
- (vii) सड़क उपरिपुल, फ्लाईओवर और भूमिगत मार्ग तथा उनकी सहबद्ध संरचना;
- (viii) सड़क की ओर पार्किंग क्षेत्र ;
- (ix) सड़क की ओर पौधारोपण, नर्सरी, बाड़ और अन्य भू-दृश्य वस्तुएं ;
- (x) टोल बूथ या प्लाजा ;
- (xi) सुरंग और उनकी सहायक संरचना ;
- (xii) रास्ते के किनारे सुख-सुविधाएं या संरचनाएं जैसे सरकारी भूमि पर सड़क के साथ-साथ अवस्थित वर्षा आश्रय, ले बाइज, बस लेन, सार्वजनिक सुविधाएं, पार्क और खुले स्थान।

(2) इस अधिनियम में प्रयुक्त किन्तु अपरिभाषित तथा लोक निर्माण विभाग संहिता में परिभाषित शब्दों तथा अभिव्यक्तियों का वही अर्थ होगा जो उन्हें क्रमशः उक्त संहिता में दिया गया है।

प्रतिषिद्ध
गतिविधियां।

3. इस अधिनियम के अधीन निम्नलिखित गतिविधियां प्रतिषिद्ध होंगी, अर्थात् :—

- (i) सड़क अवसंरचना के अधीन सरकारी भूमि पर अधिक्रमण करना ;
- (ii) सड़क अवसंरचना पर या से कोई स्थायी, अस्थायी या चल संरचना का निर्माण करना ;
- (iii) सड़क अवसंरचना पर पशु के बांधने सहित वर्कशाप का परिनिर्माण करके और वाणिज्यिक गतिविधियां कार्यान्वित करके सड़क का दुरुपयोग करना ;
- (iv) सड़क की ओर जल-निकास तथा क्रास जल-निकास प्रणाली में बाधा डालना या नुकसान पहुंचाना ;
- (v) सड़क अवसंरचना की ओर जल, मलजल या गंदगी मोड़ना ;
- (vi) सड़क अवसंरचना पर उत्खनित मिट्टी या मलबा या कोई अन्य सामग्री का ढेर लगाना या फेंकना ;
- (vii) सक्षम प्राधिकारी से अनुमति लिए बिना सड़क अवसंरचना को खोदना या नुकसान पहुंचाना ;
- (viii) सड़क अवसंरचना पर अप्राधिकृत हैंड पम्प, बोर वैल या पेट्रोल पम्प लगाना ;
- (ix) पहुंच मार्ग, समानान्तर दीवार और विंग दीवार, पैरापिटस, रेलिंगज, प्रकाश प्रणाली, संरक्षण कार्य, सुरंगों और उनकी आनुषंगिक संरचनाओं तथा अन्य संरचनाओं जैसे सड़क पटरियों, स्कन्धों, पुश्ता-दीवारों, ब्रेस्ट दीवारों, टो-दीवारों, क्रास-जल निकास और सड़क की ओर नालियों, सड़क जंक्शनों, मध्यमों, स्पीड ब्रेकरों, रम्बल स्ट्रिप्स, गली प्रकाश, यातायात बलित्तियों, बैरिकेडों, क्रैश बैरियरों, सूचना पट्टों, किलोमीटर पत्थरों, निर्देश खम्भों, सीमा खम्भों, पंक्ति खम्भों, सड़क पहचान चिह्नित अवसंरचना, पेडिस्टलों, बैंचों, टोल बूथों या प्लाजा, मार्गस्थ सुख-सुविधाएं जैसे वर्षा आश्रयों, ले बाइज, बस लेनों, सार्वजनिक सुविधाओं, सड़क के साथ पार्कों और खुले स्थानों तथा सड़क परिवहन और सड़कों के रखरखाव को सुकर बनाने के लिए बने निर्माण या कोई अन्य संरचना सहित पुलों, सड़क उपरिपुलों, फ्लाईओवरों और भूमिगत मार्गों को नुकसान पहुंचाना या विरूपित करना ;
- (x) सड़क अवसंरचना पर सड़क की ओर पौधारोपण, नर्सरियों, बाड़ों और अन्य भू-दृश्य वस्तुओं को नुकसान पहुंचाना या उखाड़ना ;
- (xi) सड़क अवसंरचना पर अप्राधिकृत होर्डिंगज प्रदर्शित करना ;
- (xii) सड़क अवसंरचना पर अप्राधिकृत स्वागत द्वार, बन्दनवार इत्यादि का परिनिर्माण करना ;
- (xiii) क्षेत्र में खनन के कारण सड़क अवसंरचना को नुकसान पहुंचाना ;
- (xiv) सड़क अवसंरचना पर किसी संरचना का परिनिर्माण या निर्माण करना ;
- (xv) सड़क अवसंरचना पर मंदिर का परिनिर्माण या निर्माण करना ;
- (xvi) कोई अन्य गतिविधि, जो सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, प्रतिषिद्ध गतिविधि के रूप में घोषित की गई है।

प्रतिषिद्ध
गतिविधियों का
अवधारण।

4. सभी प्रतिषिद्ध गतिविधियां राजस्व तथा आपदा प्रबन्धन विभाग द्वारा अनुरक्षित भूमि अभिलेखों के संदर्भ में अवधारित की जाएंगी।

5. (1) धारा 3 के अधीन प्रतिषिद्ध किसी गतिविधि के घटित होने पर, सक्षम प्राधिकारी प्रतिषिद्ध गतिविधि को तुरन्त रोकने के लिए व्यक्ति को निर्देश देते हुए आदेश जारी करेगा तथा जहां आवश्यक हो, सड़क अवसंरचना की स्थिति को उसकी मूल स्थिति में पुनः स्थापन के आदेश ऐसी अवधि, जो आदेश में विनिर्दिष्ट की जाए, के भीतर करेगा और ऐसी अवधि तीन दिन से अधिक नहीं होगी।

सक्षम प्राधिकारी के कर्तव्य।

(2) उपधारा (1) के अधीन सक्षम प्राधिकारी का आदेश प्रतिषिद्ध गतिविधि को लिखित में स्पष्ट रूप से वर्णित करेगा तथा प्रतिषिद्ध गतिविधि की घटना का अवस्थान, ऐसी गतिविधि का विस्तार और पहले से हुए या हो रहे नुकसान को स्केच के रूप में भी उपदर्शित करेगा।

(3) उपधारा (1) के अधीन पारित आदेशों की अनुपालना में असफलता की दशा में, सक्षम प्राधिकारी शास्ति जो पांच हजार रूपए तक बढ़ाई जा सकती है, के अतिरिक्त व्यक्ति की लागत पर स्थिति को पुनः स्थापित करने के लिए आवश्यक कदम उठाएगा। इस प्रकार उपगत व्यय भू-राजस्व के बकायों के रूप में वसूलीय होगा और सक्षम प्राधिकारी प्रतिषिद्ध गतिविधि का भाग रूप बनने वाली सामग्री, मशीनरी, औज़ार, उपकरण इत्यादि को ऐसी रीति, जो विहित की जाए, में जब्त करेगा।

(4) इस धारा में दी गई किसी बात के होते हुए भी, सक्षम प्राधिकारी या इस निमित्त उस द्वारा प्राधिकृत अधिकारी को इस धारा के अधीन कोई नोटिस जारी किए बिना सड़क पर अप्राधिकृत कब्जा हटाने की शक्ति होगी, यदि ऐसा अप्राधिकृत कब्जा—

- (क) खुली हवा में या अस्थायी स्टाल, छतरी, बूथ या अस्थायी स्वरूप की दुकान के माध्यम से किसी पदार्थ या वस्तु को प्रदर्शित करने ;
- (ख) निर्माण या परिनिर्माण, चाहे अस्थायी या स्थायी; या
- (ग) अनधिकार प्रवेश या अधिक्रमण, जो किसी मशीन या अन्य यंत्र के उपयोग के बिना हटाया जा सकता है,

के स्वरूप का है और ऐसा कब्जा हटाने में, सक्षम प्राधिकारी या ऐसा अधिकारी, ऐसे हटाव के लिए आवश्यक युक्तियुक्त बल के प्रयोग द्वारा ऐसा कब्जा हटाने के लिए पुलिस, यदि आवश्यक हो, की सहायता मांग सकता है।

6. सक्षम प्राधिकारी उसके अधीनस्थ सहायक उप मण्डल अभियन्ता या कनिष्ठ अभियन्ता, जैसी भी स्थिति हो, को इस अधिनियम के अधीन उसमें निहित अपनी सभी या किसी शक्ति और उसको समनुदेशित कर्तव्यों को प्रत्यायोजित कर सकता है।

सक्षम प्राधिकारी की शक्तियों और कर्तव्यों का प्रत्यायोजन।

7. व्यथित व्यक्ति पुष्टिकारी प्राधिकारी को सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी आदेश के विरुद्ध आदेश की प्राप्ति की तिथि से तीन दिन की अवधि के भीतर आक्षेप दायर कर सकता है और पुष्टिकारी प्राधिकारी, सुनवाई का अवसर देने के बाद और सक्षम प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश को पुष्ट करने या अपास्त करने के पांच दिन की अवधि के भीतर आख्यापक और सकारण आदेश के माध्यम से आदेश पारित करेगा।

आक्षेप दायर करना।

8. (1) पुष्टिकारी प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध अपील, अपील प्राधिकारी द्वारा ग्रहण की जाएगी, यदि ऐसी अपील पुष्टिकारी प्राधिकारी द्वारा आदेश पारित होने के पन्द्रह दिन के भीतर दायर की जाती है :

अपील।

परन्तु अपील विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति के बाद भी ग्रहण की जा सकती है, यदि अपीलकर्ता अपील प्राधिकारी को संतुष्ट कर देता है कि उसके पास उस अवधि के भीतर अपील न करने के लिए पर्याप्त कारण था :

परन्तु यह और कि अपीलकर्ता, ऐसे आदेश के विरुद्ध अपील दायर करते समय, सक्षम प्राधिकारी द्वारा यथा निर्धारित पूर्वानुमानित पुनः स्थापन लागत जमा करवाएगा।

(2) अपील प्राधिकारी अपील के दायर करने के पन्द्रह दिन के भीतर पुष्टिकारी प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश को पुष्ट करने या अपास्त करने के आदेश पारित करेगा और वह अन्तिम होगा।

9. (1) इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध का दोषी पाया गया कोई व्यक्ति, दोषसिद्धि पर, किसी ऐसी अवधि जो तीन वर्ष तक बढ़ाई जा सकती है, के लिए कारावास से दण्डनीय होगा और जुर्माने के लिए भी दायी होगा।

शास्तियां और प्रक्रिया।

(2) इस अधिनियम के अधीन जहां कोई अपराध कम्पनी द्वारा किया गया है, तो अपराध करते समय इसके कारबार के संचालन के लिए कम्पनी का प्रभारी या के लिए उत्तरदायी प्रत्येक व्यक्ति अपने विरुद्ध कार्यवाही के लिए दायी होगा और तदनुसार दण्डनीय होगा :

परन्तु इस उपधारा में दी गई कोई भी बात किसी ऐसे व्यक्ति को किसी दण्ड के लिए दायी नहीं बनाएगी यदि वह सिद्ध कर देता है कि अपराध उसके ज्ञान के बिना किया गया था या कि उसने ऐसे अपराध को करने से बचने के लिए सभी सम्यक् तत्परता बरती थी।

(3) उपधारा (2) में दी गई किसी बात के होते हुए भी, जहां इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध कम्पनी द्वारा किया गया है और यह सिद्ध हो गया है कि अपराध सहमति या मौनानुकूलता से किया गया है या कि अपराध का करना कम्पनी के निदेशक, प्रबन्धक, सचिव या अन्य अधिकारी के भाग पर किसी उपेक्षा के फलस्वरूप किया गया माना जा सकता है, तो ऐसे निदेशक, प्रबन्धक, सचिव या अन्य अधिकारी के विरुद्ध भी कार्यवाही की जाएगी और तदनुसार दण्डनीय होगा।

व्याख्या.— इस धारा के प्रयोजनों के लिए,—

(क) "कम्पनी" से अभिप्राय है, कोई निगमित निकाय, और इसमें फर्म या अन्य व्यष्टि—संगम शामिल है ; तथा

(ख) फर्म के सम्बन्ध में "निदेशक" से अभिप्राय है, फर्म में कोई भागीदार।

(4) इस अधिनियम के अधीन अपराध संज्ञेय और अजमानतीय और प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय होंगे।

अन्य विभागों की सहायता मांगने की शक्ति।

10. यदि सक्षम प्राधिकारी या इस निमित्त उस द्वारा प्राधिकृत अधिकारी की राय है कि पुलिस, स्थानीय प्राधिकरण या किसी अन्य विभाग की सहायता इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए अपेक्षित है, तो वह सहायता मांग सकता है और ऐसा स्थानीय प्राधिकरण या विभाग, जैसी भी स्थिति हो, सक्षम प्राधिकारी की सहायता करने के लिए बाध्य होगा।

सिविल न्यायालय की शक्तियां।

11. इस अधिनियम के अधीन कोई कृत्य करने के प्रयोजन के लिए पुष्टिकारी प्राधिकारी तथा सक्षम प्राधिकारी को वे सभी शक्तियां होंगी, जो निम्नलिखित मामलों के संबंध में वाद का विचारण करते समय सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का केन्द्रीय अधिनियम 5) के अधीन सिविल न्यायालय में निहित हैं, अर्थात् :—

(क) किसी व्यक्ति को बुलाना तथा हाजिर करवाना और शपथ पर उसका परीक्षण करना ;

(ख) किसी दस्तावेज का प्रकटीकरण और पेश किया जाना आवश्यक होना; तथा

(ग) कोई अन्य मामला जो विहित किया जा सकता है।

सद्भाव पूर्वक की गई कार्रवाई का संरक्षण।

12. (1) इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए किसी नियम या किए गए किसी आदेश के अनुसरण में की गई या किए जाने के लिए आशयित किसी बात के लिए किसी व्यक्ति के विरुद्ध कोई भी वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाहियां नहीं होंगी।

(2) सरकार या सक्षम प्राधिकारी के विरुद्ध किसी बात जो इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए किसी नियम या किए गए किसी आदेश के अनुसरण में की गई है या किए जाने के लिए आशयित है, द्वारा हुए या होने वाले सम्भाव्य किसी नुकसान के लिए कोई भी वाद या अन्य विधिक कार्यवाहियां नहीं होंगी।

अधिकारिता का वर्जन।

13. किसी भी सिविल न्यायालय को इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन आने वाले मामले से सम्बन्धित किसी प्रश्न को ग्रहण करने या विनिश्चित करने के लिए कोई अधिकारिता नहीं होगी।

नियम बनाने की शक्ति।

14. (1) सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकती है।

(2) इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम राज्य विधानमण्डल के समक्ष रखा जाएगा।

उद्देश्यों एवं कारणों का विवरण

वर्तमान में राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 जानबूझकर नुकसान पहुंचाने से राष्ट्रीय राजमार्गों को संरक्षित करने के लिए अस्तित्व में है। राज्य में अन्य सड़क अवसंरचना को संरक्षित करने के लिए वर्तमान में उससे संबंधित मामलों को शासित करने के लिए कोई भी स्पष्ट अधिनियम नहीं है। यद्यपि सार्वजनिक सम्पत्ति के संरक्षण से सहयुक्त कुछ भारतीय दंड संहिता में प्रावधान है किन्तु वह पूर्णतया सामान्य है और सुस्पष्ट नहीं है।

फिर भी, सार्वजनिक सम्पत्ति को नुकसान पहुंचाने के विरुद्ध अपराधों से संबंधित ऐसे प्रावधानों को लागूकरण में प्राथमिकता नहीं दी जाती है जो उनके कार्यान्वयन के लिए अपनाई जाने वाली त्वरित और प्रभावी प्रक्रिया अपनाने के लिए ज्यादा कठिन है। परिणामतः सार्वजनिक सम्पत्ति को नुकसान पहुंचाने के मामले बिना जांच के चलते हैं और इसलिए ऐसे नुकसान से बचने के लिए विशेष कानूनी प्रावधान करना आवश्यक महसूस किया गया है। यह अधिनियम सभी प्रावधानों का संज्ञान लेता है, संरचना और कृत्य, शक्ति और प्राधिकार की स्पष्ट तस्वीर वर्णित करता है। संविधान अर्थात् सड़क एवं संरचना को संरक्षित करने वाले प्रावधानों से संगत कतिपय गतिविधियां अपेक्षित या प्रतिषिद्ध है।

अधिनियम, धोखेबाजी की गतिविधियों तथा सड़क पर अप्राधिकृत पहुंच की भी जांच करेगा और इसकी अवसंरचना को सुरक्षा उपलब्ध करवाएगा। इसका उद्देश्य कानूनी ढांचा उपलब्ध करवाना है ताकि प्राधिकरणों को सड़क पर सभी प्रकार की अनुचित हस्तक्षेप और अप्राधिकृत पहुंच की जांच के लिए कानूनी स्वीकृति प्रदान की जा सके।

सड़क अवसंरचना और सुरक्षा की अभिवृद्धि के उचित उपयोग तथा प्रबन्धन में सुनियोजित पहुंच और विकास और लागूकरण का उद्देश्य है। इसलिए सुरक्षा, अनुकूलतम उपयोग, सड़कों पर उचित रूप से आवागमन के उद्देश्य को प्राप्त किया जा सके, हमें संरक्षण के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा अपनाए जाने वाले नियमों और विनियमों को स्पष्ट रूप से परिभाषित करना चाहिए और लोगों की आवश्यकताओं को अच्छे से पूरा करने के लिए अवसंरचना को बढ़ाना चाहिए। इसलिए यह विधेयक है।

राव नरबीर सिंह,
लोक निर्माण (भवन एवं सड़कें) मन्त्री, हरियाणा।

चण्डीगढ़:
दिनांक 7 मार्च, 2017.

आर० के० नांदल,
सचिव।

प्रत्यायोजित विधान के संबंध में विज्ञापन

हरियाणा सड़क अवसंरचना संरक्षण विधेयक, 2017 की धारा 11 का खण्ड (ग) राज्य सरकार को किसी अन्य मामले पर नियम बनाने के लिए सशक्त करती है। जो विहित किए जा सकते हैं, जब इस अधिनियम के अधीन किसी कृत्य को करने के प्रयोजन के लिए पुष्टकारी प्राधिकारी और सक्षम प्राधिकारी को वे सभी शक्तियां होंगी जो सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का केन्द्रीय अधिनियम 5) के अधीन किसी सिविल न्यायालय में निहित हैं। धारा 14 (1) भी राज्य सरकार को, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बनाने के लिए सशक्त करती है। प्राधिकारियों को शक्ति का प्रत्यायोजन सामान्य परिस्थिति है। इसलिए हरियाणा विधान सभा में कार्य प्रक्रिया और संचालन नियमों के नियम 126 के अधीन यथाअपेक्षित प्रत्यायोजित विधान के संबंध में विज्ञापन है।